

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या -05/2019

बनाम

- | प्रार्थी                                   | बनाम | विप्रार्थीगण  |
|--|------|---|
| 1. राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार रामसर। | वनाम | 1. दीनू पुत्र मोहब्बत जाति<br>मुसलमान निवासी अजबानी<br>तहसील रामसर। |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
आदेश

दिनांक 15.03.2024


संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बुठिया पटवार क्षेत्र बुठिया तहसील रामसर के खसरा संख्या 424 रकबा 81 बीघा किस्म बा.दो विप्रार्थीगण श्री दीनू पुत्र मोहब्बत जाति मुसलमान निवासी अजबानी का संयुक्त खातेदारी खेत है। उक्त आराजी में विप्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि रकबा 04.00 बीघा में खान एवं भू विज्ञान विभाग की बिना अनुमति /स्वीकृति प्राप्त किये बिना अवैध खनन कर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया है। इस कारण भूमिधारी तहसीलदार रामसर द्वारा उक्त भूमि में खातेदार की खातेदार अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2019 को प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी सम्मन तामिली बावजूद अनुपस्थित। विप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गयी।

पत्रावली का अवलोकन समस्त दस्तावेजों का अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विप्रार्थी श्री दीनू पुत्र मोहब्बत जाति मुसलमान निवासी अजबानी द्वारा मौजा बुठिया पटवार क्षेत्र बुठिया तहसील रामसर के खसरा संख्या 424 रकबा 81 बीघा किस्म बा.दो की संयुक्त खातेदारी में से अपने हिस्से की भूमि की रकबा 04.00 बीघा भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर अवैध खनन किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघन किया गया है। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा बुठिया पटवार क्षेत्र बुठिया तहसील रामसर के खसरा संख्या 424 रकबा 81 बीघा किस्म बा.दो में विप्रार्थी श्री दीनू पुत्र मोहब्बत जाति मुसलमान निवासी अजबानी की संयुक्त खातेदारी में विप्रार्थी के हिस्से की भूमि रकबा 04.00 बीघा में विप्रार्थी श्री दीनू पुत्र मोहब्बत जाति मुसलमान निवासी अजबानी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

  
(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर  
रामसर



रीडर / 2024 / 1033-34

दिनांक : 15-03-2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर ।
2. विप्रार्थीगण दीनू पुत्र मोहब्बत जाति मुसलमान निवासी अजबानी तहसील रामसर ।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर  
उपखण्ड अधिकारी  
रामसर